


विषय:- गेहूँ खरीदने के लिये ब्याज मुक्त ऋण देने बारे-2021-22 ।

.....

क्या मुख्य मन्त्री/मन्त्रीगण/मुख्य ससंदीय सचिव तथा ससंदीय सचिव/ मुख्य प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/ विधि प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव-1 एवं II/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तथा उनके साथ नियुक्त वरिष्ठ सचिव, निजी सचिव तथा सचिवालय के सभी शाखा इन्चार्ज वित्त विभाग के क्रमांक-46/1/2011/-डबल्यू.एम. दिनांक, चण्डीगढ़, 16.04.2021 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के स्थाई/अस्थायी कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये कि चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी जो सरकार से ब्याज रहित 20,000/- रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से दिनांक 05.05.2021 तक लेखा तथा विभाजन शाखा में भेज दें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. प्रार्थना पत्र फॉर्म लेखा तथा विभाजन शाखा में सायं 4.00 बजे से 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं ।


अधीक्षक, लेखा तथा विभाजन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्य मन्त्री/मन्त्रीगण/मुख्य ससंदीय सचिव तथा ससंदीय सचिव/ मुख्य प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/ विधि प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव-1 एवं II/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तथा उनके साथ नियुक्त वरिष्ठ सचिव, निजी सचिव तथा सचिवालय के सभी शाखा इन्चार्ज ।


अज्ञात क्रमांक-10/02/19-3 ए.पी.

दिनांक, चण्डीगढ़, 19.4.21

पृष्ठा 10 क्रमांक-10/02/19-3 ए.पी.

दिनांक, चण्डीगढ़, 19.4.21

उपरोक्त की एक-2 प्रति प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली/निदेशक, अल्प बचतें/सचिव, राज्यपाल हरियाणा/ सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड/ सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा को हरियाणा सचिवालय से उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाने हेतु प्रेषित की जाती हैं।


अधीक्षक, लेखा तथा विभाजन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

NIC

इस की एक प्रति NIC को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की Website पर upload करने बारे सूचनार्थ / प्रस्तुत है।